

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र०)

(25)



III | अगरामी | सीधी | अक्टूबर १९७४ | १७९५

कृष्ण मुरारी गुप्ता तनय स्व. शारदा प्रसाद गुप्ता उम्र—55 वर्ष, पेशा—खेती,

श्रीमती अगरामी निवासी ग्राम—उत्तर करौंदिया सीधी तहसील—गोपदबनास जिला—सीधी (म0प्र०)

द्वारा आज दि १६-६-१७ को

निगरानीकर्ता / आवेदक

प्रस्तुत

बनाम

कृष्णगोपाल तनय शारदा प्रसाद उम्र—50 वर्ष, पेशा—दुकानदारी

2. कुष्णविहारी गुप्ता शारदा प्रसाद गुप्ता उम्र—62 वर्ष, पेशा—सेवानिवृत्त कर्मचारी

3. श्रीमती सुधा गुप्ता पुत्री शारदा प्रसाद गुप्ता उम्र—48 वर्ष, पेशा—गुहकार्य निवासी ग्राम—उत्तर करौंदिया गंगा प्यूल्स के बागल में सीधी तहसील—गोपदबनास जिला—सीधी (म0प्र०)

4. म0प्र० शासन — गैर निगरानीकर्ता / अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय

अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोपदबनास

जिला— सीधी (म0प्र०) अपील प्र० क्रमांक—75 /

अपील / 2015—16 आदेश दिनांक—06.05.2017

जिसके द्वारा नितांत अवैधानिक तरीके से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत

धारा—111 म0प्र० भू—राजस्व संहिता 1959

निरस्त किया गया है।

निगरानी अन्तर्गत धारा—50 म0प्र० भू—राजस्व संहिता 1959

२८/६/०१

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

(63)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन /मा.।/सीधी/भ्र.र।/१०८।/२०१५।/७९५ जिला - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१३।८।१९	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....८०..... गोपनीयमानक के प्रकरण क्रमांक८०।भ्रील।।५-१६.... में पारित आदेश दिनांक६-९-१७.... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कल्पना सीधी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक...८-१०-१७....को कल्पना सीधी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चोधरी) सदस्य</p> 	